हरिभूमि
रायपुर भूमि - Page 1
10 July 2025

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे 65 हजार रुपए महीना

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश को हर महीने 65 हजार रुपए और न्यायाधीश को 60 हजार रुपए भत्ते के रूप में मिलेंगे। इस संबंध में विधि एवं विधायी विभाग ने अधिसूचित किया है। अधिसूचना के मुताबिक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को

सचिवालय भत्ते के रूप में 36 हजार, अर्दली भत्ता 24 हजार रुपए महीना, दूरभाष भत्ता प्रतिमाह 5 हजार रुपए के हिसाब से कुल 65 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह सेवानिवृत्त न्यायाधीश को माह में 60 हजार रुपए मिलेंगे। इन सुविधाओं में हर साल पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी।

ये हैं शर्तें

ये सुविधाएं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश के मृत्योपरांत पत्नी, पति, जो किसी अन्य उच्च न्यायालय से ये सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें ही मिलेंगी। ये सुविधाएं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उन्ही सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश के लिए मान्य होगी जो सेवानिवृत्ति की तिथि पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कार्यरत रहे हों और सेवानिवृत्ति के बाद किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, आयोग या पारिश्रमिक वाले किसी अन्य पद पर कार्यरत न हों।